

## पीएम-वदियालक्ष्मी योजना

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी वदियार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री वदियालक्ष्मी योजना (PM Vidyaxmi Scheme) को मंजूरी दे दी है।

- **उद्देश्य:** यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को संपार्श्वकि-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करना है।
- **पात्रता मानदंड:** इस योजना में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework- NIRF) के समग्र, श्रेणी-वशिष्ट और डोमेन-वशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी एवं नजी, शामिल हैं। NIRF रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institution- HEI) और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है।
- **लाभार्थी:** इससे 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकते हैं तथा सूची को नवीनतम NIRF रैंकिंग के आधार पर प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है।
- **प्रक्रिया:** उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के लिये शिक्षा ऋण और ब्याज अनुदान हेतु आवेदन करने हेतु "पीएम-वदियालक्ष्मी" पोर्टल लॉन्च करेगा, जिसका भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency- CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।
- **मौजूदा योजनाओं का पूरक:** यह योजना मौजूदा पीएम-उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-Uchchatar Shiksha Protsahan- PM-USP) योजना के तहत दो घटकों, शिक्षा ऋण के लिये ऋण गारंटी नधि (Credit Guarantee Fund for Education Loans- CGFSEL) और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (Central Sector Interest Subsidy- CSIS) का पूरक है।
- PM-USP, CSIS तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले 4.5 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान करता है।



### PM-Vidyaxmi

Collateral-free, Guarantor-free Education Loans  
Maximising access to quality Higher Education  
for **Yuva Shakti**

- Total outlay ₹ 3600 Crore
- Financial assistance to meritorious students securing admission in top 860 HEIs of India
- Benefitting 22 Lakh+ new students every year



### PM-Vidyaxmi

Collateral-free, Guarantor-free Education Loans  
Maximising access to quality Higher Education  
for **Yuva Shakti**

- Students having annual family income of upto ₹8 lakh shall be eligible to get 3% interest subvention on loans upto ₹10 lakh.
- Loans upto ₹7.5 lakhs shall be eligible for 75% credit guarantee.
- Education loans will be facilitated through a **transparent, student-friendly and digital application process** common to all banks.
- PM Vidyaxmi is another concrete step towards implementation of NEP.

और पढ़ें: भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार

